तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमने पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदियों व जाँच रिपोर्ट के अध्ययन/मनन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ख.नं. 858, 1544 कुल रकबा 0-88 हैक्टर में खातेदार भगीरथ पुत्र पुरा ही है अन्य एन्ट्रियां कम्प्यूटर की गलती से रेकार्ड हुई है। धारा 88 RT Act स्वीकार उचित प्रतीत होता है।
	अतः सरहद मौजा पनोता के ख.नं. 858, 1544 कुल रकबा 0-88 हैक्टर का भरराम पुत्र पुराराम मेघवंशी का अकेला खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है। अन्य खातेदार भेराराम पुत्र मालाराम, मोहनलाल, नारायणलाल पि. वरदाराम, धापुदेवी w/o वरदाराम, शान्तिदेवी, मंजूदेवी, फुलीदेवी पुत्रीयां वरदाराम मेघवंशी का नाम हटाये जाकर आदेश दुरूस्त किए जाते है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद दर्ज फैसला मुताबिक होकर बाद तकमील आला रेकार्ड भण्डार जमा हो।
	उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)